



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 66 /2020
GST Circular No. 38 /2020

No. 2016/AC-II/01/06/CRIS

25th August, 2020

General Managers,
All Zonal Railways/Production Units

Sub :- Availment/Adjustment of Input Tax Credit (ITC)---Corrections thereof.
Ref :- Railway Board's letter dated 20.11.2019 (RBA-102/2019)

Railway Board is receiving repeated requests for change in flags for Input Tax Credit for various GST transactions. On the basis of inputs received from CRIS, Board had notified the process of correction of ITC Flags. This window was available upto 30.11.2019 only. During the recently held webinar organized by CRIS, relating to GSTR-2A reconciliation, some of the Railways have requested to open the window for correction of ITC flags. This issue has been reviewed in Railway Board and following policy directives are issued:

- a) The reflagging of IPAS transactions will be allowed only for transactions done during October 2019-March 2020 until 15th September 2020.
- b) In the event that a Railway/ Production Unit is clear that there is a mistake in capturing the ITC flag, the transactions may be submitted by the Accounting Units through the JAG/SAG officer in charge of GST to PFA for approval.
- c) The transaction so identified and approved by PFA may be reflagged in IPAS by JAG/SAG in charge of GST who may tally the tax liability as arrived at vide para b) above and forward to PFA. PFA will review the same online and approve it using his/her digital signature.
- d) In case transactions are reflagged, month wise report, detailing ITC availed and its corresponding impact due to reflagging will be shared by CRIS, to enable Units to discharge Liability, along with interest, as per extant rules.
- e) It may be noted that since there is interest incidence also, due diligence with associate finance concurrence has to be exercised. Assistance of GST Consultants engaged by each

Railway should be taken invariably, so that there is no occasion of wrong capture of ITC flag while passing the vendor bills for payments

Above procedure may be rigorously followed. This issues with the approval of competent authority.



(V.Prakash)
Joint Director/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. All EDs, ED level empowered Committee, Railway Board
2. All Directors, Director level GST Cell, Railway Board
3. PFAs, All Zonal Railways and Production Units.
4. GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS- to provide format for excel sheet and link for uploading.



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 66/2020
जीएसटी परिपत्र सं. 38/2020

सं.2016/एसी-II/01/06/क्रिस

25 अगस्त, 2020

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय:- इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ/समायोजन - से संबंधित शुद्धियां।

संदर्भ:- रेलवे बोर्ड का दिनांक 20.11.2019 का पत्र (आरबीए-102/2019)

रेलवे बोर्ड को विविध जीएसटी लेन-देनों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु फ्लैग में परिवर्तन के लिए बार-बार अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। क्रिस से प्राप्त इनपुट के आधार पर, बोर्ड ने आईटीसी फ्लैगों की शुद्धियों की प्रक्रिया को अधिसूचित किया था। यह विंडों केवल 30.11.2019 तक ही उपलब्ध थी। हाल ही में क्रिस द्वारा जीएसटीआर-2ए के मिलान के संबंध में आयोजित वेबिनार के दौरान, कुछ रेलों ने आईटीसी फ्लैगों की शुद्धि के लिए विंडों खोलने का अनुरोध किया है। रेलवे बोर्ड में इस मामले की समीक्षा की गई है और निम्नलिखित नीति-निर्देश जारी किए जाते हैं:

- (क) आईपीएस लेन-देन की रीफ्लैगिंग केवल अक्टूबर 2019-मार्च, 2020 के दौरान किए गए लेन-देन के लिए ही 15 सितम्बर, 2020 तक अनुमेय होगी।
- (ख) ऐसी दशा में, रेलवे/उत्पादन इकाई को यह स्पष्ट है कि आईटीसी फ्लैग को प्राप्त करने में गलती हुई है तो लेखा इकाई द्वारा लेन-देन को जीएसटी के लिए प्रभारी जेएजी/एसएजी अधिकारी के माध्यम से अनुमोदन के लिए प्रधान वित्त सलाहकार को प्रस्तुत किया जाए।

- (ग) ऐसे चिह्नित और प्रधान वित्त सलाहकार द्वारा अनुमोदित लेन-देन को जीएसटी के लिए प्रभारी जेएजी/एसएजी द्वारा आईपीएस में रीफ्लैग किया जाए, जो ऊपर पैरा ख में उल्लिखित के तहत यथा प्राप्त कर दायिता का मिलान करेगा और प्रधान वित्त सलाहकार को अद्येष्ठित करेगा। प्रधान वित्त सलाहकार इसकी समीक्षा ऑनलाइन करेगा और अपने डिजिटल हस्ताक्षर करते हुए इसे अनुमोदित करेगा।
- (घ) यदि लेन-देन रीफ्लैग किये जाते हैं तो क्रिस प्राप्त आईटीसी का और रीफ्लैगिंग के कारण बताते हुए इसके तदनुरूपी प्रभाव का विस्तृत ब्यौरा देते हुए माह-वार रिपोर्ट साझा करेगा ताकि मौजूदा नियमों के अनुसार इकाइयां ब्याज सहित अपनी दायिता की अदायगी कर सकें।
- (ङ) यह नोट किया जाए कि चूंकि इसमें ब्याज भी शामिल है, अतः सह वित्त की सहमति के साथ सम्यक् तत्परता बरती जानी चाहिए। प्रत्येक रेलवे द्वारा नियुक्त किए गए जीएसटी परामर्शदाताओं की निरपवाद रूप से सहायता ली जानी चाहिए ताकि भुगतान के लिए वेंडर के बिलों को पास करते समय आईटीसी फ्लैग को लेने में कोई गलती न हो।

उपर्युक्त पद्धति का सख्ती से पालन किया जाए। इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।



(वी. प्रकाश)

संयुक्त निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सभी कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक निदेशक स्तर सशक्त समिति, रेलवे बोर्ड
2. सभी निदेशक, निदेशक स्तर जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड
3. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयां
4. एक्सेल शीट के लिए फॉर्मेट और अपलोड करने हेतु लिंक उपलब्ध कराने के लिए महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस।